न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 4239–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–10–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 06/अपील/2008–09.

1– सोमती बाई पत्नी स्व. फूल सिंह
2– महेश कुमार आ. स्व. फूल सिंह
निवासीगण ग्राम जोहर बरहा
तहसील बेरली जिला रायसेन
.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष, रायसेन
2– गजेन्द्र सिंह आ. खुशीलाल
3– छोटेलाल आ. खुशीलाल
4– भोपाल सिंह आ. खुशीलाल
5– दर्शन सिंह आ. खुशीलाल
6– विजय सिंह आ. नन्हे वीर
7– गोविंद सिंह आ. नन्हे वीर
8– कमल किशोर आ. नन्हे वीर
निवासीगण ग्राम जोहर बरहा
तहसील बेरली जिला रायसेन
.....प्रत्यर्थीगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री राजीव गौतम, अभिभाषक, प्रत्यर्थी क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/11/18 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–10–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण सहित प्रत्यर्थी कमांक 6 लगायत 8 द्वारा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 107, 116 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम जोहर बरहा, तहसील बरेली स्थित उनके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 239 रकबा 18.80 एकड़ के नक्शे में सुधार कर वर्ष 1967–68 की स्थिति यथावत कायम की जाये । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 41/बी–121/अपर कले./2005–06 दर्ज कर तहसीलदार, बरेली से वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन चाहा गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण में जॉच उपरांत दिनांक 16–6–08 को जांच प्रतिवेदन अपर कलेक्टर को भेजा गया । तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 28–6–2008 को आदेश पारित कर तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उक्त आवेदन पत्र अमान्य किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15–10–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) उभय पक्ष के मध्य हुए बटवारे के अनुसार उभय पक्ष अपने–अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर काबिज है, किन्तु बटवारे के उपरांत जो नक्शा तैयार किया गया है, उसमे स्थायी सीमा रेखा को अस्थायी दर्शाया गया है, जिसके कारण अपीलार्थीगण की लगभग 3.75 एकड़ भूमि कम हो गई है ।

(2) विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, और इस वैधानिक तथ्य पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी कोई विचार नहीं किया गया है ।

(3) तहसीलदार द्वारा स्थल की वास्तविक जांच किये बिना ही एकपक्षीय प्रतिवेदन दिया गया है, ऐसी स्थिति में स्थल की वास्तविक जांच किये बिना जो प्रतिवेदन दिया गया है, वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, और उक्त प्रतिवेदन के आधार पर पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

(4) विचारण न्यायालय के समक्ष पटवारी द्वारा नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है, और बिना नक्शे का मिलान किये आदेश पारित किया गया है, जो नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

(5) संहिता की धारा 107 व्याप्ति नक्शा की शुद्धि सबंधी आदेश हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जा सकता है, कोई आदेश पारित करने से पूर्व प्रतिकूल रूप से प्रभावित सर्वे कमांकों का सीमांकन भी किया जाना चाहिए।

(6) विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के आवेदन पत्र को अवधि बाह्य माना है, जबकि आदेश में कारण दर्शाये बिना आवेदन पत्र को अवधि बाह्य नहीं माना जा सकता है, ऐसी स्थिति अवधि की गणना जानकारी के दिनांक से की जाती है, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, जो निरस्ती योग्य है ।

(7) संहिता की धारा 107 (5) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

(8) अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं दिये गये हैं, बल्कि विचारण न्यायालय के आदेश को आधार बनाकर आदेश पारित किया गया है, जो साक्ष्य पर आधारित नहीं है । ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 186, 1982 आर.एन. 417, 1981 (एस.सी.) 136, 2010 आर.एन.101 (उच्च न्यायालय) एवं 2011 आर.एन. 317 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार से विधिवत जॉच कराया जाकर आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जिस समय वादग्रस्त भूमि कय की गई थी, उस समय मौके पर इतनी भूमि मौजूद ही नहीं थी । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, और अपर कलेक्टर के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ प्रत्यर्थी कमांक 2 लगायत 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

6/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों एवं प्रत्यर्थी कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सर्वे कमांक 240 का रकबा 16.60 एकड़ रकबा बरारी में पाया गया है, और उसमें अपीलार्थीगण की भूमि प्रत्यर्थीगण की भूमि में सम्मिलित नहीं पायी गई है । इसके अतिरिक्त सर्वे कमांक 239 एवं 240 पुराना सर्वे कमांक 275 के अंश भाग से निर्मित हुए हैं । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा जिस समय भूमि कय की गई है, उस समय सर्वे कमांक 240 का रकबा 16.60 एकड़ ही था । इस प्रकार अपीलार्थीगण की प्रश्नाधीन भूमि बंदोबस्त के पूर्व जितनी थी, बंदोबस्त के बाद भी उतनी ही पाई गई है । दर्शित परिस्थितियों में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–10–2012 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर